

**न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)**  
**(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)**

**दांडिक0प्र0क0-297 / 09**  
**संस्था0दि0 22 / 10 / 09**  
**फाईलनं.233504000092009**

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

--: **विरुद्ध :-**

1. सुरेन्द्र पिता हरकिशन, उम्र 27 वर्ष,  
 जाति मेहरा, पेशा-मजदूरी, नि0ग्राम हसलपुर,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)
2. रीतेश पिता झनक बेले, उम्र 26 वर्ष, (फरार)

----- **अभियुक्तगण**

--: **निर्णय :-**

**(आज दिनांक 23 / 08 / 2016 को घोषित)**

1- अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 379 के तहत अभियोग है कि आपने दिनांक 30/05/09 समय रात 10:00 बजे दम्पू सुर्यवंशी के घर के सामने रोड पर पुराने वाले के सामने बोड़खी, थाना आमला, जिला बैतूल म.प्र. में फरियादी के आधिपत्य से उसकी सहमति के बिना मोटर साईकिल नं0 एम0पी0 48 एम 9788 को बेईमानी पूर्वक से ले लेने का आशय रखते हुए उसे हटाकर चोरी की।

2- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी बोड़खी में रहता है। धंधा व्यवसाय करता है। दिनांक 30/05/09 दिन शनिवार को वह दम्पू सुर्यवंशी की लडकी की शादी में पुराने नाके के पास बोड़खी में गया था, जहां पर उसने उसकी मोटर साईकिल टी.वी.एस. प्लेटो एफ.जेड. क्रमांक एम.पी. 48 एम 9788 रंग काले कलर को खडा किया था। वह हेन्डल लॉक लगाना भूल गया था जिसकी चाबी उसके पास रखी, स्वीच बंद था। शादी लगाने के बाद वापस जब घर आने के लिए गाडी के पास पहुँचा तो उसकी मोटर साईकिल वहां पर नहीं थी जो कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है जिस इंजन नं. ओ.ई. आई एफ 42076462 चेचिस नं. एम.डी. 624ए.ई.1942 एफ 38321 है। कीमती 30 हजार रुपये है, को तीन स्थल पुरानी है जिसकी तलाश किया नही चलने पर आज रिपोर्ट को आया हूँ रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जावे।

3- फरियादी की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई जो प्र0पी0 1 है। जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 235/09 भा.द.सं धारा-379 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 01/06/09 को नक्शा मौका प्र.पी. 2 तैयार किया गया, दिनांक 13/08/09 को मेमोरेण्डम प्र0पी0 3 तैयार किया है। दिनांक 13/08/09 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 4 तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया, दिनांक 13/08/09 को अभियुक्त को गिरफ्तार गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 5 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में

पेश किया।

4— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1—“क्या आपने दिनांक 30/05/09 समय रात 10:00 बजे दम्पू सुर्यवंशी के घर के सामने रोड पर पुराने वाले के सामने बोड़खी, थाना आमला, जिला बैतूल म.प्र. में फरियादी के आधिपत्य से उसकी सहमति के बिना मोटर साईकिल नं0 एम0पी0 48 एम 9788 को बेईमानी पूर्वक से ले लेने का आशय रखते हुए उसे हटाकर चोरी की?”

**—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-**  
**विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण**

6— अभियोजन साक्षी प्रमोद हारोड़े (अ.सा.1) फरियादी है। उसने साक्ष्य में बताया है कि उसका मोटर साईकिल जिसका नम्बर एम0पी0 48 एम 9788 था, को लेकर दम्पू सुर्यवंशी की लड़की की शादी में गया था। शादी नाके के पास रखी थी। उसकी मोटर सायकिल पंडाल के सामने खड़ी कर दिया था और वह शादी में चला गया। जब वह शादी से वापस आया तो उसकी मोटर साईकिल मौके पर नहीं थी। गवाह की उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में खंडित नहीं हुई है। प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्ष्य को प्रश्नगत् करने वाले कोई प्रश्न बचाव पक्ष की ओर से नहीं पूछे गये हैं। प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्ष्य को प्रश्नगत् न करने के कारण यही माना जायेगा कि उक्त तथ्य बचाव पक्ष को स्वीकृत है उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार गवाह प्रमोद हारोड़े की मोटर साईकिल घटना दिनांक को दम्पू सुर्यवंशी के घर के सामने रोड पर पुराने नाके के सामने से चोरी हुई थी।

7— अभियोजन साक्षी प्रमोद हारोड़े (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसने मोटर साईकिल नहीं मिलने पर चौकी बोड़खी में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराया था जो प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से रिपोर्ट प्र0पी0 1 प्रमाणित है।

8— भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 157 के अनुसार गवाह के पूर्ववर्ती कथन उसी तथ्य के संबंध में उसकी साक्ष्य की सम्पुष्टि के लिए साबित किए जा सकते हैं रिपोर्ट प्र0पी0 1 के कथन पूर्ववर्ती है। साक्ष्य से रिपोर्ट प्रमाणित है इसलिए उसके कथन साबित होने के कारण रिपोर्टकर्ता प्रमोद हारोड़े की परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं। प्र0पी0 1 प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादी ने लेख कराया था कि दिनांक 30/05/09 दिन शनिवार को दम्पू सुर्यवंशी की लड़की की शादी में पुराने नाके के पास बोड़खी में गया था। जहां पर उसने उसकी मोटर साईकिल टी0वी0एस0 फुलेरो एफ-2 कमांक एम0पी0 48 एम 9788 रंग काले कलर की खड़ा किया था। वह लॉक लगाना भूल गया था जिसकी चाबी उसके पास रखी थी। स्वीच बंद था। शादी लगने के बाद वापस जब घर आने के लिए गाड़ी के पास पहुँचा तो उसकी मोटर साईकिल वहां पर नहीं थी। कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था। रिपोर्टकर्ता प्रमोद हारोड़े (अ.सा.1) अपनी परिसाक्ष्य में भी उक्त आशय के तथ्य बताए हैं इस प्रकार रिपोर्ट प्र0पी0 1 के

अभिकथन से भी फरियादी प्रमोद हारोड़े के साक्ष्य की सम्पुष्टि होती है।

9— उर्पयुक्त अनुसार फरियादी प्रमोद हारोड़े की परिसाक्ष्य व रिपोर्ट प्र0पी0 1 के अभिकथनों से यह प्रमाणित है दिनांक 30/05/09 को रात 10 बजे दम्मु सुर्यवंशी के घर के सामने रोड पर पुराने नाके के सामने बोड़खी में उसकी मोटर साईकिल कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया था।

10— न्यायालय के समक्ष विचारणीय है कि क्या अभियुक्त ने फरियादी प्रमोद हारोड़े की मोटर साईकिल की चोरी की थी।

11— अभियोजन का मामला मुख्यतः चोरी की विषय वस्तु मोटर साईकिल के मेमोरेण्डम की संस्वीकृति के आधार पर जप्ती पर आधारित है। अभियोजन साक्षी श्री सत्यप्रकाश बाजपेयी (अ.सा.4) द्वारा विवेचना अधिकारी पी0आर0 सिरोही जो कि मृत्यु हो चुकी है। यह गवाह विवेचना अधिकारी है। साक्षी सत्यप्रकाश बाजपेयी (अ.सा.4) ने लगभग एक वर्ष तक उसके साथ काम किया है वह उसकी हस्तलिपि व हस्ताक्षर को पहचानता है।

12— इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि इस गवाह ने साक्ष्य में बताया है कि प्र0पी0 4 का जप्ती पत्रक पी0आर0 सिरोही की हस्तलिपि में है जिसके सी से सी भाग में हस्ताक्षर है। जप्ती पत्रक के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 13/08/09 को गवाह विनोद एवं विनोद उर्फ छोटे के समक्ष आरोपी सुरेन्द्र का मेमोरेण्डम कथन लेख किया था जिसमें आरोपी सुरेन्द्र ने रितेश के साथ मिलकर दम्मु सुर्यवंशी के घर के सामने से दिनांक 30/05/09 को रात 10 बजे मोटर साईकिल टी0वी0एस0 फुलेरो कं. एम0पी0 48 एम 9788 को चोरी करना एवं उसके रिश्तेदार के घर के कमरे में खड़ी करना बताया था। जबकि इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि उसके द्वारा उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसके सामने आरोपी सुरेन्द्र ने मेमोरेण्डम नहीं दिया। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि मात्र यह गवाह हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि को पहचानता है।

13— जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा-27 के अनुसार पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति तभी सुसंगत होती है जब उस संस्वीकृति के आधार पर अपराध से संबंधित विषयवस्तु की खोज होती है। इस परिस्थिति में यदि उर्पयुक्त संस्वीकृति के आधार पर चोरी की विषय वस्तु मोटर साईकिल की खोज हुई हो और उसी के आधार पर उनकी जप्ती की गई हो तभी उर्पयुक्त संस्वीकृति सुसंगत होगी। यदि यह प्रतीत हो कि उक्त संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त के अधिपत्य से चोरी की विषयवस्तु मोटर साईकिल की जप्ती नहीं की गई। उस अवस्था में अभियुक्त के विरुद्ध चोरी का आरोप प्रमाणित नहीं होगा।

14— अभियोजन साक्षी विनोद (अ.सा.2) मेमोरेण्डम का साक्षी है। इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि पुलिस ने बोड़खी चौकी में आरोपी सुरेन्द्र से पूछताछ की थी उसने रितेश के साथ मिलकर मोटर साईकिल एम0पी0 48 एम 9788 टी0वी0एस0 प्योरो चोरी करना एवं रिश्ते के घर रखना स्वीकार किया था। जबकि यह गवाह प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0 3 एवं जप्ती पत्रक प्र0पी0 4 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। यह कहना सही है कि उक्त हस्ताक्षर उसने पुलिस के कहने से किए थे। आगे यह भी स्वीकार किया है कि जब उसने प्र0पी0 3 एवं प्र0पी0 4 पर हस्ताक्षर किए थे उस समय आरोपीगण उपस्थित नहीं थे। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा में विसंगत कथन किए जाने पर इस गवाह के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। जबकि यह गवाह मेमोरेण्डम प्र0पी0 3 का साक्षी है और जिस समय इस गवाह ने हस्ताक्षर

किए उस समय आरोपीगण उपस्थित नहीं थे। अर्थात् इस गवाह के समक्ष अभियुक्त से पूछताछ नहीं की गई न ही मेमोरेण्डम प्र0पी0 3 के कथन लिए गए जिसके आधार पर चोरी की विषय वस्तु मोटर साईकिल प्र0पी0 4 की जप्ती कर जप्ती बनाई गई हो।

15— अभियोजन साक्षी विनोद (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि मेमोरेण्डम प्र0पी0 3 एवं जप्ती पत्रक प्र0पी0 4 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह को शासन की ओर से पक्षविरोधी घोषित किया गया है तो इस गवाह ने अस्वीकार किया है कि दिनांक 13/08/09 को पुलिस ने उसके सामने आरोपी सुरेन्द्र का प्र0पी0 3 का मेमोरेण्डम कथन लेख किया था जिसमें उसने रितेश के साथ मिलकर टी0व्ही0एस0 मोटर साईकिल कं0 एम0पी0 48 एम 9788 चोरी करना स्वीकार किया था। आगे यह भी अस्वीकार किया है कि उसी दिनांक को पुलिस ने उसके सामने आरोपी के कब्जे से उक्त मोटर साईकिल जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। जबकि इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के कहने पर उक्त कागजों पर हस्ताक्षर किए थे उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार इस गवाह ने मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा के आए तथ्यों से मेमोरेण्डम प्र0पी03 व जप्ती का समर्थन नहीं किया है जिसके आधार पर चोरी की विषय वस्तु मोटर साईकिल प्र0पी0 4 की जप्ती बनाई गई हो।

16— अभियोजन साक्षी सत्यप्रकाश बाजपेयी (अ.सा.4) मात्र हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि के आधार पर न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दी है। उक्त साक्ष्य तभी महत्वपूर्ण मानी जाती जबकि मेमोरेण्डम प्र0पी0 3 एवं जप्ती पत्रक प्र0पी0 4 के साक्षी विनोद (अ.सा.2), विनोद (अ.सा.3) उक्त दोनों साक्षी मेमोरेण्डम प्र0पी0 3 का समर्थन करते, जिसके आधार पर चोरी की विषय वस्तु प्र0पी0 4 की जप्ती बनाई गई हो। अभियोजन साक्षी सत्यप्रकाश बाजपेयी (अ.सा.4) के द्वारा इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उसके समक्ष धारा-27 का मेमोरेण्डम प्र0पी0 3 भी नहीं लिया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उक्त दस्तावेज की संस्वीकृति ही बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जिसके आधार पर ही चोरी की मोटर साईकिल की जप्ती बनाई गई हैं जबकि साक्षी विनोद (अ.सा.2), साक्षी विनोद (अ.सा.3) ने मेमोरेण्डम प्र0पी0 3 एवं प्र0पी0 4 का समर्थन नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 का मेमोरेण्डम प्र0पी0 3 की संस्वीकृति के आधार पर चोरी की विषय वस्तु मोटर साईकिल की जप्ती प्रमाणित नहीं मानी जा सकती।

17— उर्पयुक्त किए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी के आधिपत्य से उसकी सहमति के बिना मोटर साईकिल नं0 एम0पी0 48 एम 9788 को बेईमानी पूर्वक से ले लेने का आशय रखते हुए उसे हटाकर चोरी की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

18— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी के आधिपत्य से उसकी सहमति के बिना मोटर साईकिल नं0 एम0पी0 48 एम 9788 को बेईमानी पूर्वक से ले लेने का आशय रखते हुए उसे हटाकर चोरी की। इस प्रकार अभियुक्त सुरेन्द्र को भा0द0वि0 की धारा-379 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

19— अभियुक्त के धारा-313 द0प्र0स0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

20— प्रकरण में आरोपी रितेश फरार है। अतः प्रकरण नष्ट न किया जावे। टाईटल पेज पर लाल स्याही से आरोपी रितेश फरार है कि टीप लिखी जावे।

21- प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है क्योंकि प्रकरण में आरोपी रितेश फरार है।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म0प्र0